न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं0 – **एम0 28/2022–23**

वाद की प्रकृति :– धारा – 107, द0प्र0सं0

झारखण्ड सरकार द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी –बनाम– सर्वजीत सिंह वगै० एवं जयनंदन सिंह वगै०

आ दे श

पुलिस निरीक्षक–सह–थाना प्रभारी, चैनपुर थाना के डुमरी थाना अप्राथमिकी सं0 – 22/2022, दिनांक – 19.09.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 107 के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय 1. श्री सर्वजीत सिंह, पिता विश्वनाथ सिंह, 2. ललित सिंह, पिता स्व० उदयनाथ सिंह एवं 3. जयनंदन सिंह, पिता स्व० महेश सिंह 4. राजकिशोर सिंह, पिता स्व० महेश सिंह, 5. रमेश सिंह पिता स्व० शिवा सिंह, 6. दिनेश सिंह, पिता स्व० शिवा सिंह, 7. गोरखनाथ सिंह, पिता सुखदेव सिंह सभी ग्राम बंदुआ, थाना डुमरी, जिला गुमला को जमीन को लेकर हमेशा झगड़ा–झंझटर एवं शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में, संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए।

प्रश्नगत वाद की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा विधि–व्यवस्थ भंग होने की सूचना नहीं दी गई है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 107 के तहत विर्निदिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.08.02 17:39:47 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner